



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश  
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)  
एन.एच.एम.भवन लिंक रोड नं. 3, पत्रकार कॉलोनी  
भोपाल(462003)



:-विज्ञापन:-

विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा./सेल-1/2022/5361

भोपाल, दिनांक: 02/08/2022

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, M0प्र0 के अन्तर्गत पर संविदा जिला सीपीएचसी सलाहकार के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है यह अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा:-

क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
1	संविदा जिला सीपीएचसी सलाहकार	31	40,000 रुपये प्रतिमाह	Graduate in Dental/ Graduate in AYUSH/ Graduate in any Subject, with masters in Health Management /Hospital administration / Health care management / Public health management (MHA-Full time or equivalent). Post Graduate diploma in hospital and health administration. Previous work experience in the field of public health would be an added advantage.	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2022 की स्थिति में)

आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल [www.sams.co.in](http://www.sams.co.in) के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 05/08/2022 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 05/09/2022 है। ऑफ लाईन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेंगे।


2. पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

पद का नाम	संविदा रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		रिक्तियों में मध्यप्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	व्ही. एच.	एच. एच.	ओ. एच.	एम डी.
संविदा जिला सीपीएचसी सलाहकार	31	6	3	2	1	4	2	3	2	5	3	-	1	1	

*Sam.*

- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- 3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयंसेव निरस्त माने जायेंगे।
- 4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

*Sam.*

  
मिशन संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
मध्यप्रदेश